

29-11-19 पत्रावली पेश हुई, वकील वादीगण

मद वादीगण अनुपास्थित आज डिप्टी
को अबजूड सूचना के भी वादीगण मद
अधिवक्ता उपास्थित नहीं हुए. जिन्हे लिए
उत्पादालय में विधिवत कार-कार आवेजें लय-
वाई गई. उसके उपरान्त भी वादीगण मद
अधिवक्ता के गैर दायीर रहने से वादीगण
का बाद-पत्र इसी स्तर पर अदम बजरी-
अदम परकी खारिज किया जाता है. पत्रावली
फैसल सुमार घेकर नम्बर से कम घेकर
दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सराड़ा, जिला-उदयपुर (राज.)